परिक्षेत्रीय कार्यालय बस्ती

उत्तर प्रदेश पुलिस

दिनांक

29-04-2025

- **डीआईजी बस्ती द्वारा रेंज के जनपदों के एसपी के साथ की गयी मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी।**
- **संबंधित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश ।**

आज दिनांक 29.04.2025 पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री दिनेश कुमार पी. द्वारा सिद्धार्थनगर पुलिस लाइन के सभागार में परिक्षेत्र के जनपदो के एसपी के साथ मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी की गयी ।

डीआईजी0 बस्ती द्वारा गोष्ठी मे निम्नलिखित आदेश-निर्देश दिये गये :

(01) हत्या, दहेज हत्या,फिरौती हेतु अपहरण एवं गम्भीर चोट के अपराधो की समीक्षा करते हुए अपने निकट पर्यवेक्षण में विवेचना का निस्तारण एवं नियमानुसार संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराते हुये वैधानिक कार्यवाही करायी जाये एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराते हुए सजा करायी जाये ।

(02) लूट, डकैती, नकबजनी, चोरी, वाहन चोरी के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही कराकर अभियोग पंजीकरण कराते हुए इनसे संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी/सम्पत्ति की बरामदगी की जाये एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाये जिससे अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अकुंश लग सके ।

(03) महिला संबंधी अपराध बलात्कार, शीलभंग, अपहरण,पॉक्सो से सम्बन्धित प्रकरणों मे तत्काल अभियोग पंजीकरण कराते हुए उनसे सम्बन्धित अभियुक्तों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाये ।

(04) पेंडिंग विवेचनाओ के निस्तारण /वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाया जाये।

(05) तीनों जनपद के पुलिस लाइन में प्रस्तावित आरक्षीगण की जेटीसी व आरटीसी ट्रेनिंग के दृष्टिगत आवास,शौचालय,स्नानागार,पानी,बिजली,पंखे/कूलर आदि सभी मूलभूत सुविधाओ के सम्बन्ध में समीक्षा कर कमियो को समय से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया |

(06) SC/ST अधिनियम के प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत करते हुए उनसे सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी साक्ष्य के आधार पर कराते हुए विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाये ।

(07) जघन्य अपराधों में रासुका के तहत कार्यवाही करायी जाये तथा प्रभावी पैरवी कराकर गुंडा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही करायी जाये।

(08) जनपद स्तर पर टीम गठित कर शेष पुरस्कार घोषित अपराधियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करायी जाये ।

(09) गिरोहबंद अधिनियम के वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी कराते हुए अपराध से सम्बन्धित अर्जित सम्पत्ति का चिन्हांकन कराकर नियमानुसार सम्पत्ति जप्तीकरण की कार्यवाही करायी जाये ।

(10) गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अभियोगों के वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करायी जाये ताकि अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अकुंश लग सके।

(11) NDPS एक्ट से संबंधित अपराध की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए एवं अभिसूचना इकाई को सक्रिय किया जाए ताकि सिंडिकेट पर अंकुश लगाया जा सके।

(12) अवैध शराब के निष्कर्षण, परिवहन व विक्री की रोकथाम हेतु सघन अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जाये ।

(13) आपरेशन त्रिनेत्र/दृष्टि के अन्तर्गत लगाये जाने वाले कैमरों के लाभ के बारे में जनता में प्रचार कर अधिक से अधिक कैमरे स्थापित कराये जाये एवं डाटा पोर्टल पर अपलोड कराये जाये।

(14) आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोगों में प्रभावी पैरवी कराकर अधिक से अधिक सजा करायी जाय।

(15) ITSSO पोर्टल पर प्रदर्शित अभियोगों मे समय से विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कराकर निस्तारण कराया जाये।

(16) जनपद में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु अधिक से अधिक डिजिटल वारियर्स बनाया जाये।

(17) सभी मुकदमों में विवेचकगण से ई साक्ष्य एप पर साक्ष्य (फ़ोटो/वीडियो आदि) अपलोड कराया जाये।

(18) NCCRP,IGRS, पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराया जाये।

(19) मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से संबंधित प्रकरणो मे शतप्रतिशत फीडिंग करायी जाये।

(20) एसओजी व सर्विलांस सेल की मदद से अभियोगो का अनावरण, अपहृताओ की बरामदगी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी करायी जाये।

(21) हिस्ट्रीशीटरो का भौतिक सत्यापन कराया जाये तथा जघन्य अपराधों व सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधो मे संलिप्त अभियुक्तों की नियमानुसार हिस्ट्रीशीट खोलकर निगरानी की जाये।

(22) थानो पर खड़े वाहनों का निस्तारण "ऑपरेशन क्लीन" के तहत यथाशीघ्र कराया जाये।

(23) बीट व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाये तथा सभी बीट अधिकारियों व कर्मचारियों को बीट प्रहरी ऐप डाउनलोड कराने व उनके मोबाइल नंबर से आईडी एक माह मे बनाये जाये।

(24) सर्किल स्तर पर स्थापित होने वाले पिंक बूथ/ परिवार परामर्श केंद्र के लिए सभी आवश्यक संसाधनो तथा सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाये। पिंक बूथ पर महिला उत्पीड़न, पारिवारिक विवाद, दहेज की मांग, घरेलू हिंसा इत्यादि के संबंध में प्राप्त शिकायतों के शीघ्र गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जायें। सर्किल मुख्यालय के थाने में स्थित पिंक बूथ द्वारा परिवार परामर्श केंद्र के रूप में भी किया जाएगा। जिसका कार्यक्षेत्र पूरा सर्किल होगा।

(25) आगामी त्यौहारों अक्षय तृतीया, महाराणा प्रताप जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, ईद उल जुहा(बकरीद) को सकुशल व सौहार्द पूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराए जाने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था पूर्ण किये ।

उक्त गोष्ठी मे एसपी संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता, एसपी सिद्धार्थनगर डॉ0अभिषेक महाजन, एसपी बस्ती श्री अभिनन्दन तथा तीनो जनपद के रीडर व अन्य मौजूद रहे।

सोशल मीडिया सेल

रेंज कार्यालय, बस्ती।